

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

विवरण - 16

(करोड़ रुपए)

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
क. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	35742.81	36667.25	39482.00
सामान्य केन्द्रीय सहायता	16540.00	15560.70	18434.00
गंदी बस्तियों का सुधार [#]	365.81	320.55	386.00
विशेष आयोजना सहायता	500.00	300.00	700.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	1460.00	1719.00	1350.00
पर्वतीय क्षेत्र	400.00	694.00	160.00
जनजातीय उप-आयोजना	400.00	400.00	500.00
सीमावर्ती क्षेत्र	210.00	210.00	240.00
उत्तर पूर्वी परिषद	450.00	415.00	450.00
परिवर्ती कृषि नियंत्रण	15.00	15.00	15.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम	1580.00	1830.00	1580.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता [#]	6000.00	7500.00	6500.00
अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता [#]	120.00	...	120.00
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	460.00	460.00	460.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता (राज्य आयोजना संघटक)	...	235.00	...
त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम	1712.00	1712.00	2000.00
सड़क और पुल	990.00	990.00	962.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना [#]	2500.00	2500.00	2500.00
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) [#]	2500.00	2350.00	2800.00
त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	1000.00	1000.00	1500.00
ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को ऋण	...	175.00	175.00
ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	1081.59	1302.15	1162.00
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	483.96	555.83	498.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	325.73	380.01	335.00
पांडिचेरी	158.23	175.82	163.00
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	597.63	746.32	664.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	321.00	415.78	340.00
चंडीगढ़	143.64	149.20	148.00
दादरा और नागर हवेली	42.66	49.98	44.00
लक्षद्वीप	56.27	90.24	97.00
दमन और दीव	34.06	41.12	35.00
कुल जोड़ (क+ख)	36824.40	37969.40	40644.00*

यह व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए है।

* इसमें राज्य सरकारों (मांग संख्या 1, 27, 44, 65, 74 और 79) को अनुदानों और ऋणों के लिए 37103.31 करोड़ रुपए, संघ राज्य क्षेत्रों को (मांग संख्या 45 और 74) अनुदानों और ऋणों के लिए 537.00 करोड़ रुपए, विधानमंडल रहित संघ राज्य दोनों क्षेत्रों (मांग संख्या 96 से 100) के व्यय के लिए 664.00 करोड़ रुपए और अन्य व्यय (मांग सं. 44,64,72,74 और 79) के लिए 2339.69 करोड़ रुपए शामिल है।